न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 211/2018/(2018/00211) जिला–नागौर

प्रमोद कुमार पुत्र माणकचन्द उर्फ महेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी नांवा हाल निवासी उदयपुर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. कमल प्रभा पत्नी माणकचन्द
2. निर्मल पुत्र माणक चन्द
3. प्रवीण पुत्र माणक चन्द
4. रमेश पुत्र माणक चन्द
   समस्त जाति सरावगी लुहाडिया निवासी अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांवा जिला नागौर।
6. उपपंजीयक नांवा जिला नागौर
7. जगदीश प्रसाद रूहेला पुत्र नोलाराम जाति महाजन निवासी ग्राम डूंगरवास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

———प्रत्यर्थीगण

8. लोकेन्द्र कुमार नपुत्र जयकुमार मृतक जरिये वारिसानः–
   8/1 माला पत्नी लोकेन्द्र कुमार
   8/2 अभिनव पुत्र लोकेन्द्र कुमार
   8/3 प्रीती पुत्री लोकेन्द्र कुमार
   8/4 मोनिका पुत्री लोकेन्द्र कुमार
   8/5 नीतू पुत्री लोकेन्द्र कुमार
   8/6 प्रतिभा पुत्री लोकेन्द्र कुमार
9. तारा पत्नी महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द
10. रेखा पुत्री महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द
11. प्रमिला पुत्री महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द
12. बिन्दू पुत्री महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द
13. विभा पुत्री महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द

———तरतीबी प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नांवा दिनांक 17–07–2018 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 52/2014 बउनवान माणकचन्द व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

———

Scanned with CamScanner

उपस्थित–

1. श्री शंकर लाल चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक , प्रत्यर्थी संख्या 7
3. श्री रामसुख चौधरी, अभिभाषाक प्रत्यर्थी संख्या 1, 2,3
4. श्री दिनेश साहू अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 8/1 से 8/6 , व 9 से 13, (अनुपस्थित)

निर्णय

दिनांकः– 08/2/2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति व 2 लगायत 4 के पिता माणकचन्द पुत्र बालचन्द ने प्रत्यर्थी संख्या 5 लगायत 6 के विरूद्ध के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, नांवा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नांवा के गत खसरा नम्बर 4 रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल भू–प्रबन्ध के नये खसरा नम्बर 9 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 12 रकबा 5.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 30 रकबा 3.90 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 9.77 हैक्टर स्थित है जिसमें अपीलार्थी के पिता के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 4–10–1972 को स्वीकृत किया गया और जिसमें लिपिकीय भूल से प्रत्यर्थी की वल्दियत बालचन्द के स्थान पर लालचन्द अंकित कर दी गई जबकि उनके पिता का नाम बालचन्द है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रत्यर्थी को सूचित किये बिना एवं बिना सुने वल्दियत गलत रूप से लालचन्द के बजाय सुगनचन्द अंकित कर दी जबकि पिता का नाम न तो लालचन्द है और न ही सुगनचन्द है पूर्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी के पिता का नाम बालचन्द अंकित है। उक्त दोनों बार वल्दियत संबंधी गलती बिना किसी आधार के लिपिकीय भूल से की गई हैं । प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने वल्दियत गलती से पहले लालचन्द व उसके बाद सुगनचन्द के बजाय बालचन्द दर्ज करने हेतु धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा ने स्वीकार किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान बाबत बेचान दस्तावेज संख्या 105 में अंकित केता के नाम अनुसार नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 4–10–1972 में दुरूस्त करने के आदेश पारित करते हुए उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में हुए सभी परिवर्तन शून्य घोषित करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि राजस्व ग्राम नांवा के गत खसरा नम्बर 4 रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी स्व0 सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल के नाम से दर्ज चली आ रही थी तथा अपीलार्थी के पिता का नाम सुगनचन्द है। माणकचन्द पुत्र बालचन्द को चिरंजीलाल ने किस तरह से बेचान करना बताया है उनको बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था न ही उक्त आराजी चिरंजी लाल के नाम दर्ज थी और बिना किसी खातेदारी के चिरंजीलाल ने माणकचन्द पुत्र बालचन्द को बेच दी इस प्रकार अपने नाम का गलत फायदा उठाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र धारा 136 पेश किया जबकि माणकचन्द अलग आदमी है तथा माणकचन्द उर्फ महेन्द्र कुमार अलग आदमी है। इस प्रकार उक्त आराजी माणकचन्द उर्फ महेन्द्र कुमार पिता सुगनचन्द की आराजी है। माणकचन्द पुत्र बालचन्द का इस आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा ना ही चिरंजीलाल का कोई संबंध एवं सरोकार था। इस प्रकार लगभग 45 वर्षो पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया है। माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द जाति महाजन नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहा जबकि माणकचन्द उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र सुगनचन्द के नाम से उक्त आराजी वर्षो से चली आ रही थी। इस प्रकार माणकचन्द पुत्र बालचन्द अपने नाम का फायदा उठाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं है। सम्पूर्ण आराजी पूर्व से अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट के बुजुर्गो के नाम दर्ज चली आ रही है। इसलिए वर्षो पूर्व खातेदारी को धारा 136 के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि दौराने सुनवाई दिनांक 12–3–2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि प्रार्थना पत्र में वर्णित पक्षकार अप्रार्थी लोकेन्द्र कुमार पुत्र जयकुमार जाति महाजन का स्वर्गवास दिनांक 20–8–2017 को हो गया था जिसके उत्तराधिकारी का नाम प्रार्थना पत्र में अंकित कर प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर न्यायालय ने मृतक लोकेन्द्र कुमार पुत्र जयकुमार के वारिसों को रेकार्ड पर नहीं लेकर प्रार्थना पत्र दिनांक 27–3–2018 खारिज कर दिया। इस प्रकार वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 ने उक्त आदेश के विरूद्ध कोई निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत नहीं की थी जबकि वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1लगायत 4 एवं अधिनस्थ न्यायालय को मृतक लोकेन्द्र कुमार पुत्र जयकुमार की मृत्यु की जानकारी हो चुकी थी तो ऐसे विधि विरूद्ध और मृतक व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश उसके हितो के विरूद्ध पारित नहीं किया जा सकता था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी के पुराने खसरा नम्बर 3 रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार श्री गोकलचन्द पुत्र

Scanned with CamScanner

श्री गोपीकिशन जाति महाजन निवासी नांवा थे जिनके द्वारा वर्तमान अपलार्थी के दादा सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल के साथ किये गये विनिमय पत्र जिसकी रजिस्ट्री संख्या 238 पृष्ठ संख्या 159 से 160 दिनांक 1–11–1962 को उप पंजीयक नांवा में पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार उक्त आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा भूमि वर्तमान अपीलार्थी के दादा सुगनचन्द को गोकुलचन्द पुत्र गोपीकिशन से जमीन के बदले जमीन रजिस्टर्ड दस्तावेज से प्राप्त हुई है इस प्रकार अपीलार्थी के दादा सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल ही उक्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दिनांक 1–11–1962 से चले आ रहे है। नामान्तरकरण संख्या 209 जो एक्सचेंज जिसकी रजिस्ट्री संख्या 238 के आधार पर दिनांक 22–7–1963 को वर्तमान अपीलार्थी के दादा सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया और जिसके आधार पर उसी समय राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी में नाम अंकित हो गया था जो जमाबंदी सम्वत 2022 लगायत 2025 से स्पष्ट है। इसके पश्चात जब सुगनचन्द की मृत्यु हो गई उसके पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 382 के आधार पर सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल के पुत्र जयकुमार व महेन्द्र उर्फ माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द के नाम विरासत अंकित की गई जो जमाबंदी सम्वत 2026 लगायत 2029 से स्पष्ट है। जिसके पश्चात उक्त आराजी नियमित रूप से रेकार्डेड खातेदर काश्तकार माणकचन्द उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र सुगनचन्द चले आ रहे है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 से विरासत के आधार पर उनके वारिसानों के नाम दर्ज चली आ रही है जो जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 से स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 केवल मात्र अपने नाम का फायदा उठाकर वर्तमान अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं था किन्तु अधीनस्थ न्यायलय ने एकतरफा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यर्थीगण के दादा सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल के नाम अंकित थी और उसी समय चिरंजीलाल पुत्र चम्पालाल जाति सरावगी निवासी नांवा जो कभी भी खसरा नम्बर 3 रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार काश्तकार नहीं रहा जिसने एक फर्जी एवं कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 22–5–1963 को पंजीकृत विक्रय पत्र तैयार कर उप पंजीयक नांवा को प्रस्तुत किया जो पुस्तक संख्या 1 क्रम संख्या 105 में पंजीबद्ध हुआ जिसके आधार पर वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति माणकचन्द पुत्र बालचन्द तथा 2 लगायत 4 के पिता माणकचन्द पुत्र बालचन्द उक्त आराजी पर तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 22–5–1963 के आधार पर क्लेम कर रहे है जबकि उक्त आराजी को बेचने का अधिकार चिरंजीलाल सरावगी को नही था। तत्समय उक्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल थे इस प्रकार खातेदार सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल

Scanned with CamScanner

की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तरकरण से उनके दो पुत्रों जयकुमार एवं महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द के नाम विरासत की गई जिसके आधार पर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि का अंकन किया गया। इस प्रकार लगभग 45 वर्ष पश्चात जिसके बाद दो तीन बार खसरों में परिवर्तन हो गया तथा विरासत भी परिवर्तित हो गई और तथाकथित विकय पत्र उसके पक्ष में किया गया था उनकी भी मृत्यु हो चुकी है इस प्रकार इतने वर्षो पश्चात एक प्रार्थना पत्र के आधार पर जो कि एक समरी प्रोसिडिंग होती है, के आधार पर 45 वर्ष पुरानी खातेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता।

उनका यह भी कथन है कि माणकचन्द पुत्र बालचन्द जाति सरावगी ने तहसीलदार नांवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द की विरासत स्वीकृत की गई जिसको उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–4–2018 द्वारा अपील को खारिज कर नामान्तरकरण यथावत रखा गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति व 2 लगायत 4 के पिता ने दावा बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर वर्तमान अपीलार्थी ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–7–2018 में कोई विवेचन नहीं किया गया। केवल लिपिकीय त्रुटि मानकर 45 वर्ष पुरानी खातेदारी को समरी प्रोसिडिंग से समाप्त कर दी जबकि इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात अगर किसी की खातेदारी से कोई अपना हक अधिकार तय करवाना होता है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता है। इस प्रकार के प्रकरणों को धारा 136 के तहत दुरूस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–7–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथाः–

1. आर.बी.जे. 2015 पेज 256
2. आर.आर.टी. 2017 वोल्यूम II पेज 1264
3. आर.आर.डी 2016 पेज 394

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3, व प्रत्यर्थी संख्या 7 प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता आदेश 1

Scanned with CamScanner

नियम 10 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में एक मुन्तिकल प्रार्थना पत्र संख्या एल.आर.एक्ट /1116/2021 जिला नागौर बउनवान कमल प्रभा व अन्य बनाम डॉ0 वीना प्रधान व अन्य प्रस्तुत किया गया था जो माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा दिनांक 6–8–2021 को खारिज कर दिया जाने पर इसके विरूद्ध एक एच.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 12501/2021 कमल प्रभा व अन्य बनाम वीना प्रधान व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अतः प्रत्यर्थीगण उक्त रिट के निस्तारण से पूर्व न्यायालय हाजा में बहस करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें यहां न्याय मिलने में संशय है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 व 7 के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थीगण जानबूझकर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से बहस नहीं करना चाहते है। यद्यपि यह सही है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से एक मन्तिकल प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया था किन्तु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस मुन्तिकल प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06–08–2021 को निर्णय पारित करते हुए इस विवेचन के साथ प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है कि "मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्य प्रार्थी स्वयं की मनोदशा एवं कयासो पर आधारित है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली, आचरण एवं व्यवहार के बारे में की गई टिप्पणी गलत है तथा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सच्चाई पर आधारित नहीं है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित पैरावाईज टिप्पणी दिनांक 31–03–2021 में भी मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित आक्षेपों को मनगंढत एवं झूठा होना अंकित किया है। इस प्रकार मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की आशंका पूर्णत निर्मूल प्रतीत होती है तथा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल मात्र कयासो के आधार पर प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन होना पाये जाने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन होने से गृहायता के स्तर पर ही खारिज किया जाता है।" यह भी सही है कि प्रत्यथीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06–08–2021 के विरूद्ध एच.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 12501/2021 कमल प्रभा व अन्य बनाम वीना प्रधान व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है जो वर्तमान में विचाराधीन है किन्तु रिट के संलग्न प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06–08–2021 के विरूद्ध स्थगन जारी करने से मना कर

Scanned with CamScanner

दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का निवेदन है कि प्रकरण का निस्तारण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के विधिविरूद्ध निर्णय दिनांक 17–7–2018 को सव्यय खारिज किया जावे। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन उक्त रिट पिटीशन में दिनांक 28–9–2021 को पारित आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि यह सही है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से एक मन्तिकल प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया था किन्तु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस मुन्तिकल प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06–08–2021 को निर्णय पारित करते हुए इस विवेचन के साथ प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है कि "मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्य प्रार्थी स्वयं की मनोदशा एवं कयासो पर आधारित है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली, आचरण एवं व्यवहार के बारे में की गई टिप्पणी गलत है तथा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सच्चाई पर आधारित नहीं है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित पैरावाईज टिप्पणी दिनांक 31–03–2021 में भी मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित आक्षेपों को मनगंढत एवं झूठा होना अंकित किया है। इस प्रकार मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की आशंका पूर्णत निर्मूल प्रतीत होती है तथा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल मात्र कयासो के आधार पर प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन होना पाये जाने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन होने से गृहायता के स्तर पर ही खारिज किया जाता है।" यह भी सही है कि प्रत्यथीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06–08–2021 के विरूद्ध एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 12501/2021 कमल प्रभा व अन्य बनाम वीना प्रधान व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण में अंतिम बहस होकर निर्णय हेतु आरक्षित होने तक विचाराधीन रही है किन्तु रिट के संलग्न प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06–08–2021 के विरूद्ध स्थगन जारी करने से मना कर दिया गया। निर्णय लिखे जाने व घोषित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 12501/2021 कमल प्रभा व अन्य बनाम वीना प्रधान व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–12–2021 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें

Scanned with CamScanner

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 6–8–2021 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के हस्तांतरण प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया था, में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं मानते हुए एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 12501/2021 कमल प्रभा व अन्य बनाम वीना प्रधान व अन्य का निस्तारण करते हुए इस रिट को मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज कर दिया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति एवं 2 लगायत 4 के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम नांवा के गत खसरा नम्बर 4 रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल भू–प्रबन्ध के नये खसरा नम्बर 9 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 12 रकबा 5. 17 हैक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 30 रकबा 3.90 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 9.77 हैक्टर स्थित है जिसमें अपीलार्थी के पिता के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 4–10–1972 को स्वीकृत किया गया जिसमें लिपिकीय भूल से प्रत्यर्थी की वल्दियत बालचन्द के स्थान पर लालचन्द अंकित कर दी गई जबकि प्रत्यर्थी के पिता का नाम बालचन्द है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रत्यर्थी को सूचित किये बिना वल्दियत गलत रूप से लालचन्द के बजाय सुगनचन्द अंकित कर दी गई जबकि प्रत्यर्थी के पिता का नाम न तो लालचन्द है और न ही सुगनचन्द है पूर्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी के पिता का नाम बालचन्द अंकित है। उक्त त्रुटि को धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थी के दादा सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल ही उक्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दिनांक 1–11–1962 से चले आ रहे है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 209 जो एक्सचेंज जिसकी रजिस्ट्री संख्या 238 के आधार पर दिनांक 22–7–1963 को वर्तमान अपीलार्थी के दादा सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया और जिसके आधार पर उसी समय राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी में नाम अंकित हो गया था जो जमाबंदी सम्वत 2022 लगायत 2025 से स्पष्ट है। इसके पश्चात सुगनचन्द की मृत्यु हो गई जिसके पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 382 के आधार पर सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल के पुत्र जयकुमार व महेन्द्र उर्फ माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द के नाम विरासत अंकित की गई जो जमाबंदी सम्वत 2026 लगायत 2029 से स्पष्ट है। इसके उपरान्त उक्त आराजी के नियमित रूप से रेकार्डेड खातेदर काश्तकार माणकचन्द उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र सुगनचन्द चले आ रहे है तथा माणकचन्द उर्फ महेन्द्र की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 से विरासत के आधार पर उनके वारिसानों के नाम दर्ज चली आ रही है जो जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति व 2 लगायत 4 के पिता ने दावा बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था जिसके आधार

Scanned with CamScanner

पर वर्तमान अपीलार्थी ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल लिपिकीय त्रुटि मानकर 45 वर्ष पुरानी खातेदारी को सरसरी कार्यवाही (Summary proceeding) से समाप्त कर दी जबकि इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात अगर किसी की खातेदारी से कोई अपना हक अधिकार तय करवाना होता है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता है। इस प्रकार के प्रकरणों को धारा 136 के तहत दुरूस्त नहीं किया जा सकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश द्वारा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी संबंधी अंकन को परिवर्तित कर नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 4–10–1972 में विवादित आराजियात के बेचान दस्तावेज संख्या 105 में अंकित क्रेताओं के नाम दुरूस्त करने के आदेश के साथ इस भूमि के राजस्व रेकार्ड में हुए सभी परिवर्तन शून्य घोषित किये जाने के आदेश पारित किये है। इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही एक पक्षीय किया जाना स्पष्ट है क्योंकि अपीलार्थी को उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व पूर्ण सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और उसकी खातेदारी भूमि से खातेदारी अधिकार समाप्त करने के एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये गये जो विधि विरूद्ध होकर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत भी है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) नांवा का अपीलाधीन ओदश दिनांक 17–7–2018 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यपरक समानता होने से प्रस्तुत प्रकरण पर यथावत चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) नांवा का अपीलाधीन ओदश दिनांक 17–7–2018 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 52/2014 बउनवानी माणकचन्द व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

Scanned with CamScanner